रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 2019/माघ 19, 1940
No. 656] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2019/MAGHA 19, 1940

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2019

का.आ. 774(अ).—सेवाओं अथवा लाभों अथवा सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सीधे उनके हक दिलाने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान को प्रमाणित करने के लिए एक से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है), वस्त्र क्षेत्र के कुशल कार्मिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है)को मौजूदा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार चौदह वर्ष और उससे अधिक आयु के बेरोजगार युवाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थियों कहा गया है) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में संचालित कर रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा संगठनों की निम्नलिखित श्रेणियों से पैनलबद्ध किए गए विभिन्न क्रियान्वयन भागीदारों के माध्यम से किया जाता है अर्थात:-

(i) वस्त्र क्षेत्र में कंपनियां, साझेदारी फर्में, सीमित देयता भागीदारी फर्में, गैर-सरकारी संगठन, सोसाइटीज, ट्रस्ट, स्टार्ट-अप; और,

(ii) राज्य सरकारों,केंद्र सरकार और वस्त्र मंत्रालय के विभिन्न संस्थान;

और, यह योजना क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा जमीनी स्तर पर संचालित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को अल्पावधि प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभ कहा गया है) उपलब्ध कराती है;

और, उपर्युक्त योजना में भारत की समेकित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है;

इसलिए, केंद्र सरकार अब आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडियों, लाभ तथा सेवाओं की लक्षित डिलिवरी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है अर्थात:-

1. (1) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को एतद्वारा आधार संख्या होने का प्रमाण देना होगा अथवा आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरी करना होगा।

(2) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या न हो अथवा जिसने अभी आधार के लिए पंजीकरण न कराया हो, को योजना के अंतर्गत प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण कराने से पूर्व आधार पंजीकरण (14 वर्ष से बड़ी तथा 18 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के मामले में अभिभावकों अथवा संरक्षकों की सहमति की शर्त के अध्यधीन)के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो तथा ऐसे व्यक्ति आधार पंजीकरण के लिए किसी आधार पंजीकरण केंद्र (इनकी सूची विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय को अपने क्रियान्वयन भागीदारों के माध्यम से अभी तक पंजीकृत न हुए लाभार्थियों के लिए पंजीकण सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक होगा और ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील जैसे नजदीक के इलाकों में कोई आधार पंजीकरण केंद्र मौजूद न होने की स्थिति में मंत्रालय अपने क्रियान्वयन भागीदारों के माध्यम से विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान पंजीयकों के साथ समन्वय में अथवा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पंजीयक के रूप में सुगम स्थानों पर आधार पंजीकरण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को आधार आवंटित किए जाने तक, ऐसे व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर लाभ प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्

(क) (i) यदि वह पंजीकृत है तो उसका/उसकी आधार नामांकन आईडी स्लिप; अथवा

(ii) पैरा 2 के उप – पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट, आधार पंजीकरण के लिए उसके अनुरोध की एक प्रति, और

(ख): निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज:

(i) फोटो सहित बैंक की पासबुक अथवा डाकघर की पासबुक; अथवा

(ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; अथवा

(iii) राशन कार्ड; अथवा

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; अथवा

(v) किसान फोटो पासबुक; अथवा

(vi) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदाता प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; अथवा

(vii) सरकारी पत्र शीर्ष पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र, जिस पर उस व्यक्ति का फोटो लगा हो

(viii) पासपोर्ट; अथवा

(ix) केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए पदनामित एक अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध से लाभ प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपने क्रियान्वयन भागीदारों के माध्यम से निम्नलिखित सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा, अर्थात:-

(1) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार और लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया जाएगा और यदि वे पहले से पंजीकृत नही हैं तो उनको सलाह दी जाएगी कि इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण कराने से पहले वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार पंजीकरण केंद्र में स्वयं को पंजीकृत कराएं और स्थानीय रूप से उपलब्ध पंजीकरण केंद्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) यदि लाभार्थी ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील जैसे आसपास के क्षेत्रों में पंजीकरण केंद्र की अनुपलब्धता के कारण स्वयं को पंजीकृत करवाने में असमर्थ हैं तो मंत्रालय अपने क्रियान्वयन भागीदारों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा और लाभार्थियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (3) के प्रथम परंतुक में किए गए उल्लेख के अनुसार अपने नाम, पते, मोबाइल नम्बर और अन्य विवरण (14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों के मामले में माता पिता अथवा संरक्षक की अनुमति से) मंत्रालय द्वारा अपने क्रियान्वयन भागीदार अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से पदनामित संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध कराकर आधार के लिए अनुरोध का पंजीकरण करें।

(3) यदि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी ने आधार के लिए पंजीकरण करा लिया है तथापि किसी कारण से आधार नम्बर प्राप्त करने में असमर्थ है, तो मंत्रालय अपने क्रियान्वयन भागीदारों के माध्यम से भारत के पंजीकरण के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के माध्यम से 'सर्च माई आधार' उपलब्ध कराएगा और सुविधाजनक स्थानों पर आधार पंजीकरण की सुविधा प्रदान करके ग्राहक को अद्यतन जानकारी देगा और लाभार्थियों को यह सलाह दी जा सकती है कि वे आधार नम्बर शेयर करने, प्रचालित अथवा प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अध्यधीन लाभार्थी का आधार नम्बर खोजने के लिए अपेक्षित आपरेटर के पास अपने नाम, पते, मोबाइल संख्या, उंगली के निशान और अन्य विवरण देकर सहायता मोड में अपने आधार नम्बर खोज लें।

3. यदि लाभार्थियों की खराब उंगलियों के खराब निशानों अथवा आंख की पुतलियों और चेहरे से मिलान न होने से अथवा किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन विफल हो जाता है, तब निम्नलिखित आपवादिक निवारण तंत्र को अपनाया जाएगा; अर्थात :

(क): उंगली के निशान की गुणवत्ता खराब होने के कारण प्रमाण के लिए आखों की पुतलियों की स्कैन सुविधा अपनाई जाएगी उसके बाद मंत्रालय अपने क्रियान्वयन भागीदारों के माध्यम से सीमलेस तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए उंगली के निशान के स्कैनर के साथ आईरिस स्कैनर के लिए प्रावधान करेगा।

(ख): लाभार्थियों के उंगली के निशानों अथवा आईरिस प्रमाणन में कठिनाई होने पर चेहरा प्रमाणन का प्रयोग किया जाएगा और जिन लाभार्थियों का प्रमाणन का अन्य मोड विफल हो जाता है, उनके लिए जहां व्यवहार्य हो, मंत्रालय अपने क्रियान्वयन भागीदारों के माध्यम से चेहरा प्रमाणन की व्यवस्था करेगा।

(ग): यदि उंगली के निशान अथवा आईरिस अथवा चेहरा के प्रमाणपत्र के माध्मय से बॉयोमैट्रिक प्रमाणन सफल नहीं होता है तो व्यवहार्यता और स्वीकार्यता के अनुसार सीमित समय अवधि सहित वन टाइम आधार पासवर्ड अथवा टाइम आधारित वन टाइम पासवर्ड जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणन को वरीयता दी जाएगी।

(घ): **(i)** अन्य सभी मामलों में जहां बॉयोमेट्रिक अथवा वन टाइम पासवर्ड अथवा टाइम आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणन संभव नहीं है, भौतिक आधारपत्र जिनकी प्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है, के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा।

(ii) उपखंड (i**)** के प्रयोजनार्थ लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वन साझेदारों के माध्यम से ई-आधार पर आधार पत्र पर छपे हुए क्यूआर कोड को रीड करने के लिए सर्विस डिलीवरी के समय क्यूआर रीडर उपलब्ध कराएगा जिससे ऑफलाइन रुप में आधार कार्ड की प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है।

(iii) क्यू आर कोड अधिमानत: यूआईडीएआई द्वारा विकसित सेक्योर क्यू आर रीडर के माध्यम से रीड किया जाएगा क्योंकि यह आधार कार्डधारी का डिजिटली हस्ताक्षरित विवरण उपलब्ध कराता है तथा ऐसे सभी मामलों में इस उद्देश्य के लिए बने आपवादिक हैंडलिंग रजिस्टरों के लेन-देन को रिकार्ड करने के बाद लाभ प्रदान किए जाएंगे जिनका समय-समय पर मंत्रालय द्वारा अपने कार्यान्वयन साझेदारों के माध्यम से पुनरीक्षण व लेखा-परीक्षण किया जाएगा तथा इन रजिस्टरों का रख-रखाव व सामयिक निरीक्षण अपवाद निवारण तंत्र का मुख्य भाग होगा।

4. यह स्पष्ट किया गया है कि यदि, किसी कारणवश अवयस्क लाभार्थी आधार संख्या प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं तो किसी भी बाल लाभार्थी को योजना के अंतर्गत अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उपरोक्त पैरा 1 के उप-पैरा(3) में उल्लेख के अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर पहचान को सत्यापित करके लाभ प्रदान किया जाएगा। अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्रदान किए जाने की स्थिति में रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी मंत्रालय द्वारा सामयिक पुनरीक्षण व लेखा-परीक्षण किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना जम्मू व कश्मीर राज्य के सिवाय सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों में कार्यालयी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 10/1/2014-टीपी]

निहार रंजन दाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2019

S.O. 774(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Textiles in the Government of India (hereinafter referred to as the Ministry) is administering the Central Sector Scheme of Samarth-Scheme for Capacity Building in Textiles Sector (*hereinafter referred to as the Scheme*) as skill development programme for the unemployed youth of age fourteen years and above (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) as per the extant Scheme guidelines, for meeting the skilled manpower requirements of the textiles sector. The Scheme is implemented by the Ministry through its various Implementing Partners who are empanelled by the Ministry out of the following categories of organigations, namely:—

(i) companies, partnership firms, limited liability partnership firms, non-government organizations, societies, trusts, start-ups in the textile sector; and,

(ii) various institutions of Ministry of Textiles, State Governments and Central Government;

And, whereas, the Scheme offers short term training (hereinafter referred to as the benefit) to the beneficiaries through various training centres at the ground level operated by the implementing partners;

And whereas, the aforesaid scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment (subject to the consent of parents or guardians in case of children with age over fourteen and below eighteen years) before enrolment as trainee under the Scheme, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its implementing partners, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Partners shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely

(a) (i) If she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) any one of the following documents:

(i) Bank pass book or Post Office Passbook with photo; or

(ii) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Ration Card; or

(iv) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or

(v) Kishan Photo Passbook; or

(vi) Driving license issued by Licensing Authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(viii) Passport; or

(ix) Any other document as specified by the Central Government :

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Partners shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefit under the Scheme, and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas before enrollment as trainee under the Scheme, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(2) in case the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Partners shall create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details

(subject to the consent of parents or guardian in case of children with age over fourteen and below eighteen years) as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph (1), with the concerned officials specifically designated by the Ministry itself through its implementing partner or through the web portal provided for the purpose.

(3) in case, the beneficiaries under the Scheme have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the Ministry through its Implementing Partners shall provide *"Search My Aadhaar"* facility through Unique Identification Authority of India's Enrolment and update client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their names, address, mobile numbers, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provision of the said Act and regulations made thereunder with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, Iris scan facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its Implementing Partners shall make provisions for IRIS scanners along with fingerprint scanners for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of difficulty in fingerprints or Iris authentication of the beneficiaries, face authentication shall be used and the Ministry through its Implementing Partners shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those beneficiaries whose other modes of authentication fail.

(c) in case of biometric authentication through fingerprints or Iris or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be preferred;

(d) (i) in all other cases where biometric or One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefit may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter;

(ii) for the purpose of sub-clause (i), the Ministry through its implementing partners shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar Letter on E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar Card in offline manner;

(iii) The QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar holder and in all such cases the benefits may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the Ministry through its implementing partners, and maintenance of these registers and periodic inspection shall be an essential component of the exception handling mechanism.

4. It is, however, clarified that no child beneficiary shall be denied benefit under the Scheme if, for some reasons, the child beneficiary is not able to produce the Aadhaar number and the benefit shall be given by verifying the identity on the basis of other documents as mentioned at sub-paragraph (3) of paragraph 1 above. Where benefits are delivered on the basis of other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which is to be reviewed and audited periodically by the Ministry.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories Administrations, except the State of Jammu and Kashmir.

[F.No.10/1/2014-TP]

NIHAR RANJAN DASH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.11 19:58:30 +05'30'